

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia	@swatantramedia	RNI.No. UPHIN/2019/79073 (epaper.swatantraprabhat.com)	@SwatantraPrabhatonline	news@swatantraprabhat.com
लखनऊ से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून		लखनऊ, सोमवार, 01 जून 2026	राजिवावाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित	
रौता चौकी से चंद कदम बूट फायरिंग, इलाके में दहशत; आरोपियों की तलाश में चार पुलिस टीमें गठित...02		वर्ष 07, अंक 235, पृष्ठ 12, मूल्य: 03 रुपये www.swatantraprabhat.com	शिवली पुलिस से मुठभेड़ में शातिर लुटेरा राहुल गिरफ्तार, मुकदमें एक दर्जन से अधिक...11	

'ई साला कप नामडू', RCB ने लगातार दूसरी बार जीता IPL खिताब; GT पर दर्ज की 'विराट' जीत

● आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (ऋच्छ) ने पहली बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है. विराट कोहली की टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हरा दिया. आरसीबी की इस जीत पर टीम के पहले नालिक विजय माल्या ने भी बधाई दी.

को 5 विकेट से अपने नाम किया। बेंगलुरु ने की गुजरात के खिलाफ धारदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को 20 ओवर में आठ विकेट पर महज 155 रन पर रोक दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की धीमी पिच पर आरसीबी के गेंदबाजों ने ऐसी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की कि गुजरात के बल्लेबाज कभी भी लय हासिल नहीं कर सके। कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया और आरसीबी के गेंदबाजों ने उनकी रणनीति को एकदम सही साबित किया।



मुताबिक नहीं रही। टीम को अपने दो सबसे सफल बल्लेबाजों कप्तान शुभमन गिल (10) और साई सुदर्शन (12) से बड़ी पारी की उम्मीद थी। दोनों खिलाड़ियों ने इस सीजन 700 से अधिक रन बनाए हैं, लेकिन फाइनल में वे प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। गिल ने संभलकर शुरुआत की, लेकिन हेजलवुड की गेंद पर उनका शॉट बल्ले का बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी और यही गुजरात की बल्लेबाजी में भी साफ दिखाई दिया। पूरी पारी के दौरान केवल वॉशिंगटन सुंदर ही ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने संघर्ष करते हुए अविजित अर्धशतक लगाया। उन्होंने 37 गेंदों में पांच चौकों की मदद से 50 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।

फाइनल में फेल गिल और सुदर्शन की जोड़ी
गुजरात की शुरुआत भी उम्मीद के

पड़कल को 1 रन के स्कोर पर अपना शिकार बना लिया। गुजरात ने लगातार दो विकेट से वापसी की लेकिन उन्होंने बल्ले से अधिक रन नहीं बनाए थे।

राशिद खान ने दिया दोहरा झटका
राशिद खान मुकाबले में 9वां ओवर डालने के लिए आए और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। राशिद ने मात्र 3 रन खर्चें और 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने पहले बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार को मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद वरुणाल पांड्या को भी अपना शिकार बनाया और गुजरात की मुकाबले में कुछ हद तक वापसी कराई।

विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक
बेंगलुरु ने शानदार शुरुआत के बाद भले ही लगातार विकेट गंवाए लेकिन विराट कोहली एक छोर पर क्रीज पर जमे रहे। उन्होंने 25 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया और गुजरात को मुकाबले में हावी होने का मौका नहीं दिया। उन्होंने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रनों की पारी खेली।

RCB ने लगातार दूसरी बार जीती टूर्ना
बेंगलुरु ने 156 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इसी के साथ उन्होंने दूसरी बार आईपीएल टूर्ना पर अपना कब्जा जमा लिया है। बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने फाइनल में कमाल की बल्लेबाजी की और अपने आईपीएल करियर की सबसे तेज फिफ्टी लगाई। इसी के साथ उन्होंने बेंगलुरु को दूसरा खिताब भी दिलाया।

SAR के लिए चुनाव आयोग का तीसरा चरण शुरू, इन राज्यों में चलेगा घर-घर अभियान

» भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण (SIR) का तीसरा चरण शुरू किया है. ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई 2026 से घर-घर सत्यापन जारी है. इसका उद्देश्य योग्य नागरिकों को सूची में शामिल करना और अयोग्य को हटाना है



भारत निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची की विशेष जांच (SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है. इसी के तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में 30 मई 2026 से मतदाताओं की गिनती और सत्यापन का काम शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया सविधान और चुनाव कानूनों के तहत की जा रही है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक वोट लिस्ट से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति वोट लिस्ट में शामिल न हो।

निर्वाचन आयोग के 14 मई 2026 के आदेश के अनुसार इन चार राज्यों में यह अभियान चल रहा है. बृथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं. मतदाता इन फॉर्मों को भरकर BLO के जरिए या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जिन लोगों के फॉर्म 28 जून 2026 तक चुनाव अधिकारी (ERO) के पास पहुंच जाएंगे, उनके नाम मसौदा वोट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे. जो लोग इस तारीख तक फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, वे बाद में दावा और आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका
प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और लोगों की

भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों के बृथ लेवल एजेंट (BLA) को भी फॉर्म जमा करने की अनुमति दी है. प्रत्येक BLA रोजना अधिकतम 50 फॉर्म लोगों से लेकर जमा कर सकता है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जबरन पड़ने पर और अधिक BLA नियुक्त कर सकते हैं।

घर-घर सर्वे के दौरान BLA के पास कम से कम 30 खाली फॉर्म-6 और घोषणा पत्र होना जरूरी है. इससे नए मतदाता बनने के इच्छुक लोगों को तुरंत फॉर्म दिए जा सकेंगे

राज्यों के अनुसार आंकड़े

ओडिशा	मतदाता: 3,34,14,856	BLO: 38,123	BLA: 8,391
मिजोरम	मतदाता: 8,75,008	BLO: 1,353	BLA: 3,430
सिक्किम	मतदाता: 4,71,077	BLO: 572	BLA: 681
मणिपुर	मतदाता: 20,92,140	BLO: 2,996	BLA: 5,003

निर्वाचन आयोग ने सभी योग्य मतदाताओं से इस अभियान में हिस्सा लेने और घर-घर आने वाले चुनाव अधिकारियों को पूरा सहयोग देने की अपील की है।

संक्षिप्त ख़बरें

गिट्टी लादकर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलटा, बाल बाल बचा चालक

मीरजापुर। ड्रमंडांज क्षेत्र के मीरजापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लहुरियादह गांव में टाइगर प्लांट के पास रविवार सुबह गिट्टी लादकर मीरजापुर की ओर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। संयोग ठीक था कि हादसे में ट्रेलर चालक बाल बाल बच गया। मध्यप्रदेश से गिट्टी लादकर मीरजापुर की ओर जा रहा ट्रेलर जैसे ही लहुरियादह गांव में टाइगर प्लांट के आगे पहुंचा तो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। घटना में 30 वर्षीय ट्रेलर चालक संजय निवासी लहुरियादह बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंचे एसआई सुभाष यादव हेड कांस्टेबल घनश्याम यादव ने घटना की जांच की ट्रेलर पलटने से एक लेन से आवागमन बाधित हो गया है। वहन मध्यप्रदेश की ओर जाने वाले लेन से आवागमन कर रहे हैं।एसआई सुभाष यादव ने बताया कि लहुरियादह गांव में हाइवे पर गिट्टी लदे ट्रेलर के पलटने से एक लेन से आवागमन बाधित हो गया है।पलटे ट्रेलर को हटवाने के एनएचआई और ट्रेलर मालिक को सूचित कर दिया गया है। जल्द ही पलटे ट्रेलर को हटा दिया जाएगा। एक लेन से वाहनों का आवागमन हो रहा है।

'किसी को घड़ी से पहचाना तो किसी को आवाज से...', साकेत हादसे में छात्रों ने बयां किया दर्द

नई दिल्ली। वेस्ट इंड मार्ग पर शनिवार की शाम आम दिनों की तरह ही चहल-पहल से भरी थी। कोचिंग में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तो कैटीन में कोई चाय पी रहा था तो कोई मित्र से मिलने आया था। लेकिन, तभी एक ऐसा भयानक शोर, जिससे सैतुलाजाब इलाका दहल उठा। उसने सब कुछ तबाह कर दिया। पल भर में ही चौख-फुकार मच गई और आरामान में घूल का ऐसा गुबार छाया कि कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। नोएडा के जलवायु विहार से मित्रों से मिलने आए क्षितिज प्रताप ने उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए बताया है कि वह कैटीन में बैठकर अपने मित्रों के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कैटीन संचालिका को मैगी बनाने का आर्डर दिया था। तभी पहले बिल्डिंग से हल्का प्लास्टर झड़ने लगा और हल्की कंपन हुई, जिसके बाद कैटीन में बैठे लगभग 20- 25 छात्रों बाहर खींचते हुए भागने लगे। वह भी बाहर की ओर भागे, तब तक इमारत भरभरकर गिर गई और वह मलबे के नीचे दब गए।

CBSE की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी सेंध, 19 वर्षीय हैकर का दावा- इंटरनेट पर लीक हुई 18 लाख से अधिक छात्रों की उतर पुस्तिकाएं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। सीबीएसई की आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली से जुड़ी उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावे अब नए सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब तक विवाद धुंधली स्कैन कापियों, मूल्यंकन संबंधी शिकायतों और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया तक सीमित था, लेकिन अब 18 लाख से अधिक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा संबंधी डाटा इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद कापियों की गोपनीयता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त करने के लिए छत्र 100 रुपये प्रति कापी का शुल्क देकर आवेदन कर रहे थे तो स्कैन प्रतियां इंटरनेट पर बिना अनुमति निशुल्क उपलब्ध थीं, जिन्हें कोई भी डाउनलोड कर सकता था। 19 वर्षीय छात्र और स्वयं को हैकर बताने वाले निसर्ग अधिकारी ने दावा किया है कि एडब्ल्यूएस (एडब्ल्यूएस) स्टोरेज बकेट की कॉन्फिगरेशन में कमी के कारण कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रमाणीकरण के स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच सकता था।



निसर्ग ने इंटरनेट मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो अपलोड कर दावा किया कि संबंधित स्टोरेज में वर्ष 2026 की स्कैन उत्तर पुस्तिकाएं, प्रश्नपत्र और अन्य परीक्षा सामग्री मौजूद थी। उसका दावा है कि एक ही स्टोरेज ढांचे का उपयोग विभिन्न संस्थानों द्वारा किया जा रहा था, जिससे डाटा सुरक्षा का जोखिम मूल्यंकन संबंधी शिकायतों और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया तक सीमित था, लेकिन अब 18 लाख से अधिक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं और परीक्षा संबंधी डाटा इंटरनेट पर प्रसारित होने के बाद कापियों की गोपनीयता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा करोड़ों का नाला, मनोनीत सभासदों में आक्रोश



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिर्जापुर। नगर पालिका परिषद अहौरा के नई बाजार वार्ड में पानी निकासी की समस्या के समाधान के लिए करोड़ों की लागत से नाला का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मानक के विपरीत डाला गिट्टी की जगह लोकल गिट्टी डालकर ढलाई की जा रही है। कंक्रीट रेशियो भी ठीक ढंग से ना मिलाए जाने के कारण नाले का गिट्टी हल्का सा झूने पर भी गिर रहा है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सभासदों द्वारा सज्ञान में आने पर उय विरोध किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार पर जीरो टोलेंसेंस

स्कैन तस्वीरों में मुड़ी छाया वाली और हाथ रखी कापियां
अब कापियों की गोपनीयता ही नहीं, बल्कि स्कैनिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई प्रतियों में कागज की सिलवटें, किनारों पर

नरेला के घर में युवक की संदिग्ध मौत, बढवू आने के बाद सामने आया मामला

बाहरी दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके के एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने घर से युवक का शव का बरामद किया। कई दिनों तक घर का दरवाजा नहीं खुला। तो घर से बढवू आने लगी। जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक का शव बरामद किया। रविवार को स्वर्ण जयंती कालोनी के एक घर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बढवू आने पर लोगों ने दरवाजा खटखटाया। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को भी बुलाया गया। घर का दरवाजा तोड़कर देखा गया। तो शव बेड पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने विभिन्न बयानों को इकट्ठा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 33 वर्षीय विक्रम के रूप में हुई है। जो 12 वर्षों किराए के मकान में रह रहा था और फैक्ट्री में काम करता था। पड़ोसी अशोक कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी किसी फिलहाल काम रोक दिया गया है, ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन यश प्रश्न यह है की क्या मानक में सुधार होता है या फिर टेबल के नीचे से समझौता।

जारी रहेगा शालीमार बाग में अवैध निर्माण हटाने का काम, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

● दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में डिमोलिशन की कार्रवाई को फैसले के बाद अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी है. डीएम एस.एस. परिहार ने बताया कि यह कार्रवाई 30 मीटर राइट ऑफ वे में से 10.5 मीटर अतिक्रमित क्षेत्र में की जा रही है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में डिमोलिशन की कार्रवाई को लेकर मध्य-उत्तर जिला के जिलाधिकारी एस.एस. परिहार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को एक पोर्टल पर वायरल बैड एम्पल एनीमेशन बरकरार रखने के बाद रविवार सुबह से शालीमार बाग स्थित नाग हैटएफ़ क्षेत्र में रोड नंबर-320 के निर्धारित राइट ऑफ़ वे के भीतर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक निर्धारित क्षेत्र में स्थित सभी अवैध संरचनाओं (स्ट्रक्चर्स) को हटकर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा दी जाती। मध्य-उत्तर जिला के जिलाधिकारी (डीएम) एस.एस. परिहार ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशनुल्लंघन, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

जुलाई 1980 में हुआ था कब्जा
डीएम के मुताबिक संबंधित भूमि का अधिग्रहण दिल्ली के नियोजित विकास के लिए वर्ष 1959 और 1961 की अधिसूचनाओं के माध्यम सड़क शालीमार बाग रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) को आउटर रिग रोड से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण यातायात गलियारों का हिस्सा है। यह मार्ग रिग रोड, आजादपुर, शालीमार बाग तथा आसपास के बड़े आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थागत क्षेत्रों को जोड़ता है. इसके माध्यम से अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और विकसित हो रहे प्रशासनिक परिसरों तक पहुंच सुनिश्चित होती है. उन्होंने कहा कि सड़क की वर्तमान चौड़ाई अतिक्रमणों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, जिससे नियमित यातायात जाम की स्थिति 33 वर्षीय विक्रम के रूप में हुई है। जो 12 वर्षों किराए के मकान में रह रहा था और फैक्ट्री में काम करता था। पड़ोसी अशोक कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी किसी फिलहाल काम रोक दिया गया है, ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन यश प्रश्न यह है की क्या मानक में सुधार होता है या फिर टेबल के नीचे से समझौता।

जुलाई 1980 में हुआ था कब्जा
डीएम के मुताबिक संबंधित भूमि का अधिग्रहण दिल्ली के नियोजित विकास के लिए वर्ष 1959 और 1961 की अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रारंभ किया गया था. साल 1966 में



भूमि अधिग्रहण की घोषणा जारी की गई तथा वर्ष 1980 में अवाई संख्या 40/1980-81 और 50/1980-81 घोषित किए गए, जुलाई 1980 में भूमि का कब्जा लिया गया तथा वर्ष 1981 में शेष मुआवजा राशि भी जमा करा दी गई. इस प्रकार भूमि अधिग्रहण व मुआवजा बरकरार रखने के बाद रविवार सुबह से शालीमार बाग स्थित नाग हैटएफ़ क्षेत्र में रोड नंबर-320 के निर्धारित राइट ऑफ़ वे के भीतर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई. प्रशासन ने साफ किया है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक निर्धारित क्षेत्र में स्थित सभी अवैध संरचनाओं (स्ट्रक्चर्स) को हटकर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा दी जाती। मध्य-उत्तर जिला के जिलाधिकारी (डीएम) एस.एस. परिहार ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशनुल्लंघन, अग्निशमन वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए जारी किया नोटिस
डीएम ने जानकारी दी कि जनवरी 2026 में सार्वजनिक नोटिस जारी कर प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं. नोटिस प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए। सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा 20 मार्च 2026 को आदेश पारित किया गया. उन्होंने कहा कि इसके पश्चात कुछ निवासियों द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। भूमि अधिग्रहण को वर्ष 2013 के कानून की धारा 24(2) के अंतर्गत समाप्त घोषित करने तथा प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देने का प्रयास किया गया. न्यायालय के समक्ष सरकार ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया कि भूमि

का अधिग्रहण वैध रूप से पूरा हो चुका है, मुआवजा जमा कराया जा चुका है तथा कब्जा भी लिया जा चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

डीएम ने बताया कि 6 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास पूर्व-अधिग्रहण स्वामित्व के वैध दस्तावेज नहीं हैं, भूमि का अधिग्रहण वैध है तथा सार्वजनिक महत्व की सड़क परियोजना को रोकना नहीं जा सकता। इसके बाद 18 मई 2026 को पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की. 29 मई 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. इसके साथ ही प्रशासन के पक्ष को अंतिम न्यायिक स्वीकृति प्राप्त हो गई।

डीएम एस.एस. परिहार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित पात्र परिवारों के लिए विशेष सहायता पैकेज भी घोषित किया है. इसके अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार अथवा इकाई को 3 लाख रुपये की एकमुश्त एक्स-ग्रेसिया सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास दिल्ली में कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है, उन्हें सावद वेवरा स्थित आवासीय इकाइयों में 11 हाक तक लाइसेंस आधारित अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

क्या है प्रशासन का उद्देश्य?
उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य एक ओर न्यायालय के आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवारों को यथासंभव सहायता प्रदान करना भी है. उन्होंने कहा कि रोड नंबर-320 का चौड़ीकरण राजधानी की एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक अवसरचना परियोजना है, जिसके पूरा होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं की सुगम सुवाहा तथा क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी।

